राजस्व वाद संख्या– 339 / 2022
GCMS NO- 2022/531
ग्यारसीलाल आदि बनाम कमली आदि
निर्णय दिनांक– 07/12/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 2022 / 539 GCMS NO- 2022/531

1. ग्यारसीलाल पुत्र दुलीचन्द
2. छोटेलाल पुत्र दुलीचन्द
3. भागीरथमल पुत्र दुलीचन्द

} जातिगण गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..........आवेदकगण

– **बनाम** –

1. कमली देवी पुत्री कन्हैयालाल
2. निरंजनलाल शर्मा पुत्र कन्हैयालाल
3. ब्रजलाल शर्मा पुत्र कन्हैयालाल
4. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप
5. मधु शर्मा पुत्री रामस्वरूप
6. विधा देवी पुत्री कन्हैयालाल
7. विमला देवी पत्नि रामस्वरूप
8. श्रवण कुमार पुत्र कन्हैयालाल
9. सुनिता शर्मा पुत्री रामस्वरूप
10. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप
11. औमप्रकश
12. कैलाशचन्द
13. नन्दलाल
14. पूर्णमल

(11–14) } पुत्रान मनभर

(1–14) } जातिगण ब्राहम्ण निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

15. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बनवास जरिये शाखा प्रबन्धक बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
16. लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार सिं महोदय सिंघाना जिला झुन्झुनू (राज.)
17. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

........अनावेदकगण

आवेदन पत्र – अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

(1) आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं :–

1. यह कि आवेदकगण ने दावा पत्र विधिवत [illegible] न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें आवेदकगण को स[illegible] मि[illegible] की पुरी – पुरी सम्भावना है।
2. यह कि वाके ग्राम भोदन, उप तहसील सिं[illegible] तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 720 रकबा 0.39 है. आवेदकगण [illegible] कृषि भूमि [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदकगण काबिज कास्त है यह भूमि खातेदारी की कृषि भूमि है जो कृषि उपयोग में आती है एवं आवेदकगण अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते आ रहे है।

3. यह कि आवेदन पत्र में वर्णित ग्राम भोदन स्थित भूमि ख.न. 709 गै.मु. रकबा 0.05 है. एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 10 के नाम दर्ज है। एवं ख.न. 1170/709 रकबा 0.19 है. गै.मु. अनावेदक सं. 11 लगायत 14 के नाम दर्ज है यह भूमि आम रास्ता से सटकर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कटानी रास्ता है एवं मौके पर प्रचलित भी है इस प्रकार ख.न. 709 व 1170/709 के लिये कटानी आम रास्ता उपलब्ध है।

4. यह कि अनावेदक सं. 1 लगायत 14 ने अनावेदक सं. 16 से साजिस कर नाजायज संगठन बना रखा है एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 14 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली एवं आर्थिक रूप से सम्पन व्यक्ति है जिनको बड़े राजनेताओं का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार अनावेदक सं. 1 लगायत 14 ने अनावेदक सं. 16 से साजिस कर आवेदकगण की भूमि ख.न. 720 में से नया रास्ता कायम करने की योजना बनाई है एवं आम सड़क से ख.न. 709 एवं ख.न. 1170/709 के लिये एक नया रास्ता ख.न. 720 में से कायम करने के लिये अनावेदक सं. 16 एवं उसके मातहत कर्मचारियों से साजिस कर ख.न. 720 में से गलत रूप से रास्ता होना बताकर नया रास्ता बनाकर खुलवाने हेतू आवेदकगण को बिना जानकारी बिना सूचना एवं बिना नोटिस दिये ही गिरदावर हल्का एवं पटवारी को जबरन पुलिस सहायता से रास्ता कायम करने का पत्र लिख दिया है अर्थात अनावेदक सं. 16 को अपने पद का दुरूपयोग कर आवेदकगण की भूमि में से रास्ता कायम करने का षड़यंत्र बना लिया है अनावेदक सं. 16 को किसी की खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार नही है साथ ही धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में सुखाचार (Right of Easement) केवल तभी प्राप्त होता है जब वैकल्पिक रास्ता नही हो जबकि ख.न. 709 व 1170/709 के लिये राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता मौजूद है इसलिये अनावेदक सं. 16 को आवेदकगण की भूमि ख.न. 720 में से ख.न 709 व 1170/709 के लिये रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार नही है।

5. यह क भूमि ख.न. 720 रकबा 0.39 है. आवेदकगण की खातेदारी की कृषि भूमि है इसमे से अनावेदक सं. 1 लगायत 14 के लिये अनावेदक 16 को नया रास्ता कायम करने अथवा कोई भी रास्ता खुलवाने का कोई हक व अधिकार नही है आवेदकगण की खातेदारी की भूमि का आवेदकगण को बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करने का स्वतंत्र अधिकार है प्रतिआवेदकगण को आवेदकगण के खातेदारी अधिकारों मे बाधा कारित करने का कोई हक एवं अधिकार नही है इसलिये आवेदकगण के लिये अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतू यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 720 रकबा 0.39 है मे से नाजायज रूप से अनावेदकगण सं. 1 लगायत 14 के लिये उनकी भूमि ख.न. 709 व 1170/709 के लिये मौके पर एवं रिकार्ड में कटानी रास्ता उपलब्ध होने एवं रास्ता की वैकल्पिक व्यवस्था होने से कोई सुखा[illegible]प्त नही होने एवं अनावेदक सं. 16 द्वारा अनावेदक सं. 1 ल[illegible] अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मौके पर जब[illegible]कायम क[illegible] आवेदकगण को अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकं[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

7. यह कि आवेदकगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है।
8. यह कि आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये 2 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा दो रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।
9. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।
10. यह कि विवादित भूमि का अपडेटड रिकार्ड पेश है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(A). कि अनावेदकगण सं. 1 लगातय 14 एवं अनावेदक सं. 16 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि ख.न. 720 रकबा 0.39 है. मे से कोई रास्ता कायम नही करे आवेदकगण को उनकी भूमि के कब्जा कास्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वंय करे ना किसी अन्य से करवाये। एवं अनावेदक सं. 16 स्वयं या अपने मातहत अधिकारियों, कर्मचारीयो से आवेदकगण की भूमि ख.न. 720 में से रास्ता कायम नही करवाये ना उनकी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करवाये।

(2) प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 की ओर से जबाव पेश किया गया। इनकी ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया।

(3) अप्रार्थी सं0 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 की ओर से जबाव पेश किया कि – प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 720 में से एक कदीमी प्रचलित रास्ता आम सडक से ग्राम ईश्कपुरा को जाता है। उक्त रास्ता करीब 100–125 वर्षो से अधिक पुराना जिसका उपयोग ईश्कपुरा गांव के लोग व अप्रार्थीगण रूप से आने जाने के लिये करते आ रहे है। उक्त रास्ते का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते आ रहे है, तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शमशान धाट तक ले जाने के लिये भी इसी रास्ते का उपयोग करते है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 720 में से जो रास्ता है वह कदमी प्रचलित है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार के आदेश से तैयार पटवारी की मौका रिपोर्ट से होती है। जिससे की उक्त रास्ते का 100–125 वर्षो से कदीमी प्रचलित रास्ता बताया है। प्रार्थीगण जान बुझकर उक्त कदीमी रास्ते को बन्द कर दिया जिसका प्रार्थीगण को बन्द करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बन्द करने देनें से गांव के लोगो का आने जाने का रास्ता बन्द हो गया। तथा बच्चों के स्कूल में जाने का रास्ता बन्द हो गया है। जिस कारण से बच्चे स्कूल भी नही जा पा रहे है। खसरा नम्बर 720 के उत्तर में उच्च माध्यमिक स्कूल है तथा ग्राम भोदन की पंचायत है जिसमें अप्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासी आना जाना इसी रास्ते से करते है। प्रार्थीगण को उक्त कदीमी रास्ता को बन्द करने का हक व अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 16 कोई नया रास्ता कायम नही कर रहा है। बल्कि 100–125 सालों से जो पुराना कदीमी प्रचलित रास्ता है उसे ही खुलवा रहा है। पुराने कदीमी प्रचलित रास्ते को यदि कोई अवरूद्व करता है तो खोलने का अधिकार व प्रार्थीगण को उक्त रास्ता बन्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार विधि के यह वाद पत्र पेश किया जो की चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण की भूमि में जो रासता है वह 50–60 सालों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(मनोज कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कदीमी है। जिसका उपयोग सभी गांवों वाले तथा अप्रार्थीगण बिना बाधा के करते आ रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त रास्ते को बन्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

अतः अप्रार्थी संख्या 2,3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 की ओर से जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज किया जाकर खसरा नम्बर 720 में 100–125 सालों से कदीमी प्रचलित रास्ते को खुलवाने जाने की कृपा करे।

(4) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या 243, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी खाता संख्या 315, जमाबंदी खाता संख्या 134, नक्शा की फोटो प्रति पेश की गई।

(5) **बहस उभय पक्षकारान विस्तार से सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।**

(6). **प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि–** प्रश्नगत वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम भोदन उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 720 रकबा 0.39 है. आवेदकगण की एंकाकी खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर आवेदकगण काबिज कास्त है यह भूमि खातेदारी की कृषि भूमि है जो कृषि उपयोग में आती है एवं आवेदकगण अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते आ रहे है। ग्राम भोदन स्थित भूमि ख.न. 709 गै.मु. रकबा 0.05 है. एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 10 के नाम दर्ज है। एवं ख.न. 1170 / 709 रकबा 0.19 है. गै.मु. अनावेदक सं. 11 लगायत 14 के नाम दर्ज है यह भूमि आम रास्ता से सटकर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कटानी रास्ता है एवं मौके पर प्रचलित भी है इस प्रकार ख.न. 709 व 1170 / 709 के लिये कटानी आम रास्ता उपलब्ध है। अनावेदक सं. 1 लगायत 14 ने अनावेदक सं. 16 से साजिस कर नाजायज संगठन बना रखा है एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 14 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली एवं आर्थिक रूप से सम्पन व्यक्ति है जिनको बड़े राजनेताओं का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार अनावेदक सं. 1 लगायत 14 ने अनावेदक सं. 16 से साजिस कर आवेदकगण की भूमि ख.न. 720 में से नया रास्ता कायम करने की योजना बनाई है एवं आम सड़क से ख.न. 709 एवं ख.न. 1170 / 709 के लिये एक नया रास्ता ख.न. 720 में से कायम करने के लिये अनावेदक सं. 16 एवं उसके मातहत कर्मचारियों से साजिस कर ख.न. 720 में से गलत रूप से रास्ता होना बताकर नया रास्ता बनाकर खुलवाने हेतु आवेदकगण को बिना जानकारी बिना सूचना एवं बिना नोटिस दिये ही गिरदावर हल्का एवं पटवारी को जबरन पुलिस सहायता से रास्ता कायम करने का पत्र लिख दिया है अर्थात अनावेदक सं. 16 का ... आवेदकगण की भूमि में से रास्ता कायम करने का षड़यंत्र ब... लिये ... अनावेदक सं. 16 को किसी की खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता का... करने का कोई हक व अधिकार नही है साथ ही धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुखाचार (Right of

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Easement) केवल तभी प्राप्त होता है जब वैकल्पिक रास्ता नही हो जबकि ख.न. 709 व 1170 / 709 के लिये राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता मौजूद है इसलिये अनावेदक सं. 16 को आवेदकगण की भूमि ख.न. 720 में से ख.न 709 व 1170 / 709 के लिये रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में प्रचलित रास्ता डालते है तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो जाता है वो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो जब तक वाद वर्णित में प्रार्थीगण के कब्जेकास्त में दखलदांजी नहीकरे, ना ही किसी प्रकार का रास्ता कायम करे।

(7) **अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया की** – खसरा नम्बर 720 में से एक कदीमी प्रचलित रास्ता आम सडक से ग्राम ईश्कपुरा को जाता है। उक्त रास्ता करीब 100–125 वर्षो से अधिक पुराना जिसका उपयोग ईश्कपुरा गांव के लोग व अप्रार्थीगण रूप से आने जाने के लिये करते आ रहे है। उक्त रास्ते का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते आ रहे है, तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्मशान धाट तक ले जाने के लिये भी इसी रास्ते का उपयोग करते है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 720 में से जो रास्ता है वह कदमी प्रचलित है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार के आदेश से तैयार पटवारी की मौका रिपोर्ट से होती है। जिससे की उक्त रास्ते का 100–125 वर्षो से कदीमी प्रचलित रास्ता बताया है। प्रार्थीगण जान बुझकर उक्त कदीमी रास्ते को बन्द कर दिया जिसका प्रार्थीगण को बन्द करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बन्द करने देनें से गांव के लोगो का आने जाने का रास्ता बन्द हो गया। तथा बच्चों के स्कूल में जाने का रास्ता बन्द हो गया है। जिस कारण से बच्चे स्कूल भी नही जा पा रहे है। खसरा नम्बर 720 के उत्तर में उच्च माध्यमिक स्कूल है तथा ग्राम भोदन की पंचायत है जिसमें अप्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासी आना जाना इसी रास्ते से करते है। प्रार्थीगण को उक्त कदीमी रास्ता को बन्द करने का हक व अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 16 कोई नया रास्ता कायम नही कर रहा है। बल्कि 100–125 सालों से जो पुराना कदीमी प्रचलित रास्ता है उसे ही खुलवा रहा है। पुराने कदीमी प्रचलित रास्ते को यदि कोई अवरूद्व करता है तो खोलने का अधिकार व अवरूद्व हटाने को बन्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार विवाद के यह वाद पत्र पेश किया जो की चलने योग्य नही है। प्राथीगण की भूमि में जो रासता है वह 50–60 सालों से कदीमी है। जिसका उपयोग सभी गांवों वाले तथा अप्रार्थीगण बिना बाधा के करते आ रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त रास्ते को बन्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

(8) प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima facie Case)**:–
   विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि ख.न. 720 में से ... की योजना बनाई है एवं आम सड़क से ख.न. 709 एवं ख.न. 1170 / 709 के लिये एक नया रास्ता ख.न. 720 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कायम करने के लिये अनावेदक सं. 16 एवं उसके मातहत कर्मचारियों से साजिस कर ख.न. 720 में से गलत रूप से रास्ता होना बताकर नया रास्ता बनाकर खुलवाने हेतु आवेदकगण को बिना जानकारी बिना सूचना एवं बिना नोटिस दिये ही गिरदावर हल्का एवं पटवारी को जबरन पुलिस सहायता से रास्ता कायम करने का पत्र लिख दिया है अर्थात अनावेदक सं. 16 को अपने पद का दुरूपयोग कर आवेदकगण की भूमि में से रास्ता कायम करने का षड़यंत्र बना लिया है अनावेदक सं. 16 को किसी की खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार नही है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए तर्क किया कि वाद वर्णित खसरा नम्बर 720 में से एक कदीमी प्रचलित रास्ता आम सडक से ग्राम ईश्कपुरा को जाता है। उक्त रास्ता करीब 100–125 वर्षो से अधिक पुराना जिसका उपयोग ईश्कपुरा गांव के लोग व अप्रार्थीगण रूप से आने जाने के लिये करते आ रहे है। उक्त रास्ते का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते आ रहे है, तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्मशान धाट तक ले जाने के लिये भी इसी रास्ते का उपयोग करते है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 720 में से जो रास्ता है वह कदमी प्रचलित है।

दोनो विद्वान अधिवक्ता को सुने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 720 में कभी भी कोई प्रचलित रास्ता नही रहा है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 720 प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी भूमि है जिसमें मौके पर फसल कास्त की हुई है। जो प्रस्तुत वर्तमान फोटों से स्पष्ट होती है। प्रश्नगत वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 720 में रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार अप्रार्थीगण को नही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में प्रचलित रास्ता डालते है तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

सुविधा का सन्तुलन– इस बिन्दु के संबंध में यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 720 में कभी भी कोई प्रचलित रास्ता नही रहा है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 720 प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी भूमि है जिसमें मौके पर फसल कास्त की हुई है। जो प्रस्तुत वर्तमान फोटों से स्पष्ट होती है। प्रश्नगत वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 720 में रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार अप्रार्थीगण को नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण भी में जबरदस्ती प्रचलित रास्ता डालतें देते है। प्रार्थीगण के कब्जेकास्त में दलदांजी करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:13 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूर्तनीय क्षति–** इस बिन्दु के संबंध में प्रथम दृष्टया ही साबित है कि कोई भी व्यक्ति किसी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नही कर सकता।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है।

(9) **न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है** – राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण/वादीगण की एकांकी खातेदारी भूमि है। प्रथम दृष्टया कोई बल प्रतीत नही होता कि वादग्रस्त आराजी में मात्र खातेदार होने से उनका हक अधिकार है। ऐसी सूरत में न्यायालय अप्रार्थीगण को बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ट भाग पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाता है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व पाये जाते है। ऐसी स्थिति में यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 19–07–2022 को ताफैसला वाद पुष्ठि (confram) किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि खसरा नम्बर 720 रकबा 0.39 में प्रार्थीगण के कब्जेकास्त में दखलदांजी नही करे, ना ही किसी प्रकार का रास्ता कायम करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 07/12/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:13 IST
Reason: SelfAttested